राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

कमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर; दिनांक 9.05.2016

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 9.5.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों में से 14 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। थर्ड पार्टी द्वारा किये गये निरीक्षण की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं अनुशासनिक कार्यवाही जिसमें वसूली भी शामिल है, के संबंध में जिला पाली एवं चित्तोडगढ से प्राप्त की जाए। शेष जिलों की पालना रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही करावें।
(एसई, आईएवाई)
2. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की वैब साईट, साईट डवलपर्स द्वारा करवाकर प्रगति से अवगत करायें।
(परि0निदेशक एसएपी–I एवं II)
3. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु एमपी लैड योजना में 169 कार्यो एवं बीएडीपी योजना में लगभग 25 कार्यो की सूची थर्ड पार्टी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। एक संस्था टीम इन्फ्रास्टेक्चर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे जिले को परीक्षण हेतु भेजा जाए तथा शेष से रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तावित करें।
(परि0निदे0 एसएपी–I एवं II)
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में वाटरसैड के पुराने रिकार्ड के संबंध में बैठक आयोजित की जाए, जिसमें आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायतीराज, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त वाटरसैड को आमंत्रित किया जाए। एजेण्डा तुरंत तैयार कर अनुमोदन करायें।
(सं.शा.सचिव. प्रशासन)
5. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले 45 विकास अधिकारियों को चार्जशीट पंचायतीराज विभाग द्वारा दे दी गयी है। प्रगति संबंधी सचूना पंचायतीराज विभाग से प्राप्त करें।
(सं.शा.सचिव,प्रशा.)
6. आवास योजना
   - अन्य चिन्हित वर्ग के लिए आवास योजना में प्रथम किशत वर्ष 2015–16 की लगभग 100 की पैंडिग है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया जाए।
   - वर्ष 2015–16 में कुल 3047 स्वीकृतियॉ में से 2955 को प्रथम किश्त, 21 को द्वितीय किश्त एवं 21 को तृतीय किश्त जारी की गयी है। इसमें रिव्यू किया जाए।
   - वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक आवासों की प्रगति से अवगत करायें।

- अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया गया है। जिलों को राशि रिलीज की जा रही है। इस माह में स्वीकृतियों एवं लॉटरी की प्रकिया पूर्ण करली जाए।
- आवास योजना में वर्ष 2015–16 में कुल 84964 स्वीकृतियों में से 79615 को प्रथम किश्त, 8383 को द्वितीय किश्त तथा 383 को तृतीय किश्त जारी हुई है। इसका रिव्यू किया जाए।
- ग्राम सेवकों को मोबाईल एप संचालन हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भारत सरकार से जनरेट कराकर जिला को उपलब्ध कराये जाए।
- प्रशासनिक मद में जिलों द्वारा ग्राम सेवकों को उपलब्ध कराये गये मोबाईल फोन की प्राप्त करें।
- जिला बाडमेर एवं बीकानरे में आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु दि0 2–13 मई 2016 तक विशेष अभियान चलाने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये है। जिसका रिव्यू प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा जिले की बैठक में किया जायेगा।
- अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर का निर्धारण जिला दर निर्धारण समिति से करवाकर श्रम विभाग को अवगत कराया जाए। इस संबंध में बैठक दि0 12.5.2016 को रखी जाए।

(एसई,आईएवाई)

7. एमएजीपीवाई योजना में सफलता की कहानी की पुस्तक संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास भारत सरकार मा0 सांसदगण, मा0 विधायकगण, जिला प्रमुख एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए।

(पीडी,एसएपी–I)

8. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना में वर्ष 2016–17 के लिए 50 करोड रूपये के प्रावधान हेतु पत्रावली पर वित्तीय सलाहकार महात्मा गांधी नरेगा योजना द्वारा कार्यवाही की जा रही है। पत्रावली वित्त विभाग को भेजी गई है तथा वर्ष 2015–16 की प्रगति से अवगत करायें।

(परि0निदे0एसएपी–I)

9. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि से 4 प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण आरएसएलडीसी द्वारा किये जाने की प्रगति एवं आरएसएलडीसी के पास प्रशिक्षण मद से 4 करोड का व्यय नहीं किये जाने की समीक्षा की जाए। इसमें मैशन ट्रेनिंग को शामिल किया जाए। इस हेतु आरएसएलडीसी को पत्र लिखा जाए। श्री जयपाल सिंह एवं श्री हरदीप चौपडा के साथ मैशन ट्रेनिंग हेतु बैठक रखी जाए।

(पीडी एसएपी–II)

10. विधान सभा प्रश्न का निस्तारण अभियान के तौर पर एक सप्ताह में पूर्ण करायें।

(सं0शा0सचिव, प्रशासन/पीडी/योजना प्रभारी)

11. विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2014–25 व 2015–16 की 25000 से अधिक कार्यो की यूसी/सीसी का समायोजन हेतु सम्भाग जयपुर एवं अजमेर का कार्यक्रम 19–25 मई 2016 तक का निर्धारित कर दिया गया।

(एसई, आईएवाई, वित्तीय सलाहकार)

12. 100 से अधिक बंद पडी योजनाओं की सूची वित्तीय सलाहकार द्वारा तैयार कर ली गई है। यह राशि जिलों से प्राप्त कर वित्त विभाग को जमा करवाई जाये ।

(वित्तीय सलाहकार)

13. महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य प्रवृर्तित योजनाओं में यथा डांग, मगरा, मेवात, गुरू गोलवलकर, एमएलए लैड, स्व–विवेक के योजनावार राज्य स्तरीय बैंक में खाते खोले जावे। इस संबंध में वित्त विभाग में प्रकरण विचाराधीन है। अतः नवीनतम प्रगति से अवगत करावें।

वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा के सहयोग से एसबीबीजे के साथ साथ बैंक ऑफ बडोदा से दि0 11.5.2016 को बैठक प्रस्तावित की गयी है। बैठक में बैंक ऑफ बडोदा द्वारा तैयार सोफ्टवेयर का भी प्रजेन्टेशन कराया जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना में किये जा रहे सोफ्टवेयर का उपयोग करते हुए ग्रामीण विकास की योजनाओं हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कराया जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

14. डांग, मगरा, मेवात, श्री योजना में 3 प्रतिशत प्रशासनिक मद की जिसमें सर्वे कार्य कराया जाना है, RGPSA से प्राप्त की जानी है।

(पीडी एसएपी–II/प्रभारी श्री योजना)

15. मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए–
    1. डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा के लिए पत्रावली मा0 मंत्री महोदय को भिजवायी जाए जिसमें यह निर्णय लिया जाना है कि वर्ष 2016–17 में एमजेएसए के लिए राशि उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं।

    (पीडी, एसएपी–II)

    2. शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की प्रगति समीक्षा प्रभारी श्री योजना द्वारा की जाएगी। प्रभारी श्री योजना को वाहन, एक क0लिपिक एवं एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध करायें।

    (सं.शा.सचिव,प्रशा., पीडी,एसएपी–II, श्रीयोजना)

16. सीएसआर के लिए आयुक्त, उद्योग विभाग को भेजे गये पत्र की अनुपालना प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाए। इस हेतु स्मरण पत्र जारी किया जाए।

(पीडी एमएण्डई)

17. आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में जिओटेकिंग हेतु एमजेएसए से सम्पर्क कर कार्यवाही करावें।

(पीडी एमएण्डई)

18. वर्ष 2016–17 के लिए विभागीय योजनाओं का जिलेवार आवंटन आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर पर डाला जाए। बीएडीपी का आवंटन इसी सप्ताह में डाला जाए।

(योजना प्रभारी)

19. गत पीआरसी की बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो गया है उनकी अनुपालना रिपोर्ट तैयार की जाए।

(पीडी एमएण्डई)

20. डीआरडीए प्रशासन में कम राशि प्राप्त हुई है। 40 करोड की कमी चल रही है इसके लिए भारत सरकार व वित्त विभाग को पत्र लिखवाया जाए।

21. जैसेन्दर स्टेशन बाडमेर की विजिट 27 मई को की जाए।

(पीडी, एसएपी–I–II, वित्तीय सलाहकार)

22. डांग, मगरा, मेवात योजना का वार्षिक प्लान छः जिलों से प्राप्त हुआ है शेष से इसी माह प्राप्त किया जाए।

(पीडी, एसएपी–II)

23. सीएमआईएस पर दर्ज बजट घोषणा, मुख्यमंत्री निर्देश, सुराज संकल्प के संबंध में प्रत्येक बैठक में रिव्यू किया जाएगा।

(समस्त योजना प्रभारी

24. विभाग की जानकारी में लाया गया है कि पंचायत समितियों में पदस्थापित विकास अधिकारियों द्वारा योजनाओं में करवाये गये कार्यो के जारी किये जाने वाले पूर्णता प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर/प्रति हस्ताक्षर किये जा रहे है जो उचित नहीं है। अतः इस संबंध में एक विस्तृत परिपत्र जारी किये जावे।

(एसईआईएवाई)

25. गोचर भूमि विकास बोर्ड के गठन के संबंध में प्रमुख शासन सचिव महो. के स्तर पर निर्णय कराया जाए।

(पीडी, एसएपी–II)

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–I/ मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)